**न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर**

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

**प्रकरण संख्या 8/2018 (राजसमन्द डिकी)**

1. भैरूसिंह पिता विजयसिंह, जाति सोडा राजपूत, निवासी सरस का गुड़ा उमरवास, तहसील गढ़बोर, जिला राजसमन्द (राज.)
2. वक्तावरसिंह पिता विजयसिंह, जाति सोडा राजपूत, निवासी सरस का गुड़ा उमरवास, तहसील गढ़बोर, जिला राजसमन्द (राज.)
3. जोधसिंह पिता विजयसिंह, जाति सोडा राजपूत, निवासी सरस का गुड़ा उमरवास, तहसील गढ़बोर, जिला राजसमन्द (राज.)
4. हंजा कुंवर पत्नी विजयसिंह, जाति सोडा राजपूत, निवासी सरस का गुड़ा उमरवास, तहसील गढ़बोर, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. जयसिंह पिता नवलसिंह, जाति सोडा राजपूत, निवासी सरस का गुड़ा उमरवास, तहसील गढ़बोर, जिला राजसमन्द (राज.)
2. भंवरसिंह पिता जयसिंह, जाति साडा राजपूत, निवासी सरस का गुड़ा उमरवास, तहसील गढ़बोर, जिला राजसमन्द (राज.)
3. प्रेमसिंह पिता जयसिंह, जाति सोडा राजपूत, निवासी सरस का गुड़ा उमरवास, तहसील गढ़बोर, जिला राजसमन्द (राज.)
4. प्रेम कुंवर पुत्री विजयसिंह, जाति सोडा राजपूत, निवासी सरस का गुड़ा उमरवास, हाल पत्नी चैनसिंह सोलंकी, निवासी ओकलावास, पोस्ट बागोल, तहसील देसुरी, जिला पाली (राज.)
5. भंवर कुंवर पुत्री विजयसिंह, जाति सोडा राजपूत, निवासी सरस का गुड़ा उमरवास, हाल पत्नी देवीसिंह सोलंकी राजपूत, निवासी होरियावास सोलंकियान, पोस्ट साथिया, तहसील गढ़बोर, जिला राजसमन्द (राज.)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गढ़बोर, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान

काश्त.अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय एवं
डिक्री उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ़
दिनांक 23.01.2018 प्र.सं. 25/2016

———:::———

उपस्थित(वक्तबहस)1. श्री भैरूसिंह अपीलान्ट संख्या 1 स्वयं उपस्थित
2. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक रे.सं. 6

———:::———

निर्णय दिनांक

23—07—2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजी नंबर 4 से 8 एवं 10 से 13 कुल किता 9 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि राजस्व ग्राम सरस का गुडत्रा में स्थित है, जो वादीगण एवं प्रतिवादी के संयुक्त खातेदारी व आधिपत्य की होकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1, 4, 5 का 1/2 हिस्सा है तथा इसी अनुसार पक्षकारान काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। अतः मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकारोक्ति का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय उभयपक्षों को सुनकर उपलब्ध रेकार्ड अनुसार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 23—01—2018 से वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 12—02—2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, किन्तु रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। औपचारिक पक्षकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से राजकीय

अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील मीमों में मुख्य रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय ने मात्र जवाब के आधार पर प्रकरण डिक्री कर दिया, जो अनुचित है, क्योंकि जवाब पेश हेतु के बाद इश्यू वाईज निर्णय किया जाना चाहिए था। किस पक्षकार का किस भूमि पर कब्जा है, इस पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया है। जवाबदावे पर तीनों प्रतिवादीगण के समान हस्ताक्षर हैं, जिससे हस्ताक्षर फर्जी प्रतीत होते हैं, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30–11–2017 को पत्रावली में दिनांक 15–02–2018 के लिए पेशी नियत की गयी, किन्तु प्रतिवादी प्रेमसिंह के आवेदन पर पत्रावली दिनांक 15–02–2018 के बजाय दिनांक 23–01–2018 को रखी जाकर निर्णय पारित कर वाद प्रारम्भिक डिक्री कर दिया है, जिसकी किसी प्रकार की सूचना वादी/अपीलान्ट को दिये जाने की प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 23–01–2018 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण मं अपीलान्ट/वादीगण को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर साक्ष्य सबूत के आधार पर निर्णय

पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 23–09–2019 को उपचस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 23–07–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

# डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

**(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)**

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ..... .....

सुरेन्द्रसिंह पिता प्रेमसिंह राठौड़, नि0 बनाम दलपतसिंह पिता मनोहरसिंह देवड़ा
बेमला, तह0 गिर्वा हाल मकान नं.37 निवासी सिंगावतों का वाडा, देबारी
नाकोड़ा नगर 11, धाऊजी की बाड़ी तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य
बेड़वास, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर

अपील नं॰.....47 / 2018.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी.....
.....कुम्भलगढ़..... मुकाम.....मुवर्खे.....18.....माह..... 07.....2016

## दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....13....माह.....03.....सन् 2019 रूबरू..... पक्षकारान
व हाजरी..श्री ओंकारलाल डांगी..मिनजानिब अपीलान्ट व..श्री महेन्द्र मेनारिया/राजमल राव

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–07–2016 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....13.....माह.....03..... .....2019
को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

## खर्चा अपील

| अपीलान्ट | रू0 | पै0 | रेस्पोन्डेन्ट | रू0 | पै0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. स्टाम्प अपील ... ..... .<br>2. स्टाम्प वकालत नामा .....<br>3. इजराय हुक्मनामा .. .....<br>4. वकील फीस बाबत .... .....<br>मीजान ..... | | | 1. स्टाम्प वकालत नामा...<br>2. स्टाम्प अर्जी ..... .....<br>3. इजराय हुक्मनामा . ....<br>4. मेहनताना वकील..... .....<br>मीजान . .... | | |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।